

अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 113

संपत्ति - अवभार - प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं० 1560 / 2018

Central Bank of India Lehria Sarai

चूंकि श्री मैता शिव अरणाचल मा 1010 शिव अरणाचल मा
श्री शिव अरणाचल मा 1010 शिव अरणाचल मा श्री लक्ष्मी सागर
 ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रस्तुत
 प्रमाण पत्र दिया जाय। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार दें)
 इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों एवं
 अवभारों के बारे में वही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 1-1-85 से ता० 5-10-18
 तक तलाश कि गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है। मैता

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(क) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मैता	बंगाली लेला बलप्रपुर	माता लहेरिया ललाष	जि०-५२३०११	वर्ष 42 (4) माता 310, 869, 223			
			रहे माता 2688, 2689, 2687 मात्र					

जिला निबंधन कार्यालय, दरभंगा।

ज्ञाप सं० 1625 दिनांक 7-10-18

प्रतिलिपि:- शाखा प्रबंधक, Central Bank of India Lehria Sarai के सूचनापत्र।

जिला और निबंधक
 जिला और निबंधक
 दरभंगा।

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें चशते कि इसका उल्लेख हो।

2. पटदे की दशा में पटदे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवधारों का पता नहीं चला है। निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण तैयार किया:-

(हस्ताक्षर) Samfesh Kumar

(पदनाम) R-keeper लिपिक

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जांच निम्न व्यक्तियों ने की :-

(हस्ताक्षर) Suraj Kumar

(पदनाम) लिपिक

कार्यालय:- जिला निबंधन कार्यालय, दरभंगा

तारीख 9/10/18 मुहर

9/10
जिला निबंधन कार्यालय, दरभंगा
4/6/10/18

1. टिप्पणी : इस प्रमाणपत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा दया प्रस्तुत संपत्ति वियाग के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्ही इन्ही संपत्तियों को निबंधित कराया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रांजेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
2. निबंधन अधिनियम धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति वहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उनके प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायेंगी।
(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगी।
(ख) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है चूँकि उसके द्वारा ढुंढे गये संव्यवहारों और अवधारों का सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढुंढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छुट के लिए किसी भी तरह संबंध न होना जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।